

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 475]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 नवम्बर 2015—अग्रहायण 5, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. एफ. बी-4-11-2015-2-पांच(21).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-4-04-2013-2-पांच(11), दिनांक 1 अप्रैल 2013 को, जहाँ तक कि उसका संबंध ग्राम कल्याणपुरा के संबंध में किए गए उपबंधों से है, आंशिक रूप से संशोधित करते हुए ज्ञानुआ जिले के ग्राम गडवाडा, पटवारी हल्का क्रमांक 17 स्थित सर्वे नम्बर 561, 562, 564, 565, 566, 569, 570, 571, 573 तथा 574 के रकबा क्रमांक 0.32, 1.41, 1.58, 0.25, 2.72, 0.65, 0.42, 2.66, 0.02 तथा 0.82 कुल रकबा 10.85 हेक्टर शासकीय भूमि पर ज्ञानुआ में इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाले हस्तांतरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. एफ. बी-4-11-2015-2-पांच(21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. बी-4-11-2015-2-पांच (21), दिनांक 26 नवम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 26<sup>th</sup> November 2015

No. F. B-4-11-2015-2-V(21).—In exercise of the powers conferred by clause(a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government, hereby, partially amending this department's Notification No. B-4-04-2013-2-V (11), dated 1<sup>st</sup> April 2013 so far as it relates to the provisions made in respect of Village Kalyanpura, remits the stamp duty chargeable on deed of conveyance to be executed in favour of Rajiv Gandhi Technical University, Bhopal for the establishment of Engineering College at Jhabua relating to Government land of survey numbers 561, 562, 564, 565, 566, 569, 570, 571, 573 and 574, respectively the area of 0.32, 1.41, 1.58, 0.25, 2.72, 0.65, 0.42, 2.66, 0.02 and 0.82 total area 10.85 hectares, situated in Village Gadwada, Patwari halka number 17, District Jhabua.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. एफ. बी-4-11-2015-2-पांच(22).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 80-ख प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-4-04-2013-2-पांच(12), दिनांक 1 अप्रैल 2013 को, जहां तक कि उसका संबंध ग्राम कल्याणपुरा के संबंध में किए गए उपबंधों से है, आंशिक रूप से संशोधित करते हुए ज्ञाबुआ जिले के ग्राम गडवाडा, पटवारी हल्का क्रमांक 17 स्थित सर्वे नम्बर 561, 562, 564, 565, 566, 569, 570, 571, 573 तथा 574 के रकबा क्रमांक 0.32, 1.41, 1.58, 0.25, 2.72, 0.65, 0.42, 2.66, 0.02 तथा 0.82 कुल रकबा 10.85 हेक्टर शासकीय भूमि पर ज्ञाबुआ में इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाले हस्तांतरण विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. एफ. बी-4-11-2015-2-पांच(22).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. बी-4-08-2015-2-पांच (22), दिनांक 26 नवम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 26<sup>th</sup> November 2015

No. F. B-4-11-2015-2-V(22).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, partially amending this department's Notification No. B-4-04-2013-2-V (12), dated 1<sup>st</sup> April 2013 so far as it relates to the provisions made in respect of Village Kalyanpura, remits the Registration fees chargeable on deed of conveyance to be executed in favour of Rajiv Gandhi Technical University, Bhopal for the establishment of Engineering College at Jhabua relating to Government land of survey numbers 561, 562, 564, 565, 566, 569, 570, 571, 573 and 574, respectively the area of 0.32, 1.41, 1.58, 0.25, 2.72, 0.65, 0.42, 2.66, 0.02 and 0.82 total area 10.85 hectares, situated in Village Gadwada, Patwari halka number 17, District Jhabua.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.